



राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

RAJBIL/2000/1717
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

फाल्गुन 6, गुरुवार, शाके 1931 - फरवरी 25, 2010

Phalgun 6, Thursday Saka 1931—February 25, 2010

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम ।

संसदीय कार्य विभाग

“शुद्धि-सूचना”

जयपुर, फरवरी 25, 2010

संख्या प. 12 (6) संसद/2008 :- “संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 12 (6) संसद/2008 दिनांक 29-12-2009 जिसे राजस्थान विधान सभा सचिवालय कर्मचारी (पुनरीक्षित वेतनमान) (संशोधन) नियम, 2009 का प्रकाशन राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग-4 (ग) उप-खण्ड-I में दिनांक जनवरी 18, 2010 को प्रकाशित हुआ है में उक्त संशोधन नियमों के नियम 4 के खण्ड (i) की दूसरी पंक्ति में विद्यमान शब्द “विशेष भत्ता” के स्थान पर शब्द “विशेष वेतन ” पढ़ा जावे ।”

एस. एस. कोठारी,
प्रमुख शासन सचिव ।